"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 मार्च 2007—फाल्गुन 15, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

अधिसूचना

फा. क्र. 2215/डी-506/21-ब/छ. ग./07.—भारत के संविधान की अनुसूची-सात की सूची-तीन (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 5 तथा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 2 के खण्ड (ङ) में शब्द "ग्राम पंचायत" के पश्चात् शब्द "या नगर पंचायत" अंत:स्थापित किया जाए.

Raipur, the 6th March 2007

NOTIFICATION

F. No. 2215/D-506/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by entry 5 and 30 of list III (Concurrent List) of Schedule VII of Constitution of India the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Compulsory Registration of Marriages rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

In clause (e) of rule 2 after the words "Gram Panchayat" the words "or Nagar Panchayat" shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.